"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 जून 2020 — आषाढ़ 9, शक 1942

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6–42/2012/12.— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 2 में,–

(एक) खण्ड (भ) में, शब्द "तथा इसमें ऐसा कोई ठेकेदार, उप–पट्टेदार तथा अभिकर्ता सम्मिलित है जिसे चाहे उस रुप में नियुक्त किया गया हो अथवा नहीं, किन्तु जो पट्टेदार की ओर से कार्य करते हुए या कार्य करने का आशय रखते हुए, खनिज के प्रबंधन, पर्यवेक्षण, उत्खनन तथा प्रेषण में भाग लेता हो" का लोप किया जाये; और

(दो) खण्ड (कख) में शब्द "रास्तों का निर्माण" के पश्चात्, शब्द "तथा खदान के गड्ढों से पानी निकासी, खदान में स्थित बेंचों का सुधार कार्य, प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना" अंतस्थापित किया जाये ।

2. नियम 3 में, खण्ड (छः) का लोप किया जाये ।

3. नियम 10 में, उप–नियम (4) में,–

(क) शब्द "वन भूमि" के पश्चात्, शब्द "एवं गैर वन भूमि" अंतःस्थापित किया जाये;

(ख) शब्द "तथा गैर वन भूमि के संबंध में छः माह" का लोप किया जाये;

(ग) परन्तुक में शब्द "छः माह की" का लोप किया जाये; और

(घ) परन्तुक में, शब्द "पर्याप्त कारण होने पर" के पश्चात्, शब्द "और इस अवधि की समाप्ति के पूर्व निर्धारित शीर्ष में रूपये एक हजार शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर" अंतस्थापित किया जाये ।

4. नियम 13 में, उप–नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थातः–

"(4) अधिमानी बोलीदार का चयन होने के पश्चात्, अधिमानी बोलीदार को छोड़कर शेष बोलीदारों द्वारा ई–नीलामी/ई–निविदा प्रक्रिया हेतु बोली प्रतिभूति के रूप में जमा राशि को वापस किया जायेगा एवं आशय पत्र जारी होने के पश्चात् अधिमानी बोलीदार द्वारा जमा बोली प्रतिभूति राशि भी वापस किया जा सकेगा।"

5. नियम 23–क में, उप–नियम (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(घ) उप–नियम (1)(क)(ख)(ग) में किसी बात के होते हुये भी, अनुसूची–एक के भाग–क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खनिजों को छोड़कर, निजी भूमि के मामलें में, शासन द्वारा निर्धारित दर पर आवेदक से प्रीमियम राशि लिया जाकर समेकित अनुज्ञप्ति/ उत्खनन पट्टा प्रदान किया जा सकेगा।"

6. नियम 31 में,–

(क) उप–नियम (2) में, सरल कमांक (एक) में, शब्द "रुपये पाँच हजार" के स्थान पर, शब्द "रुपये दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उप–नियम (2) में, सरल कमांक (दो) में, शब्द "रुपये दस हजार" के स्थान पर, शब्द "रुपये बीस हजार" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ग) उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(3) आवेदन शुल्क, शासकीय कोषालय में राजस्व प्राप्त शीर्ष–

0853 – अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग

(800) – अन्य प्राप्तियां

(0229) – विविध प्राप्तियां

में जमा किया जायेगा तथा मूल कोष रसीदी चालान, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।"

7. नियम 38–क में,–

(क) उप–नियम (4) में, परन्तुक में, शब्द "दो वर्ष के भीतर" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "दिनांक से 31 दिसम्बर 2020 तक" प्रतिस्थापित किया जायें।

(ख) उप–नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(8) ऐसे उत्खनन पट्टे, जिनकी स्वीकृति की तारीख से तीस वर्ष की कालावधि की समाप्ति पश्चात् भी, पट्टाधारी क्षेत्र में खनिज उपलब्ध होने पर, शासन द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि के भुगतान की शर्त पर, अधिकतम पांच वर्ष की अवधि हेतु, पट्टे की पूर्व निर्धारित निर्बंधन एवं शर्तों पर केवल एक बार के लिये, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी आगे विस्तारित कर सकेगाः

परन्तु इन नियमों के प्रकाशन दिनांक से छः माह के भीतर नियम 31 के उप–नियम (3) में यथा विहित राजस्व प्राप्ति शीर्ष में शासकीय कोषालय में निर्धारित शुल्क रूपये बीस हजार (गैर वापसी योग्य) जमा कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।"

8. नियम 42 में,–

(क) उप–नियम (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"परन्तु नियम 23 (घ) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर, कार्यपालन प्रतिभूति जमा किये जाने के पश्चात् स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी आवेदक के नाम से आशय पत्र या आदेश जारी कर सकेगा।"

(ग) उप–नियम (5) में, शब्द "वन भूमि" के पश्चात्, शब्द "एवं गैर वन भूमि" अन्तःस्थापित किया जाये;

(घ) उप–नियम (5) में, शब्द "तथा गैर वन भूमि के संबंध में छः माह" का लोप किया जाये;

(ड.) उप–नियम (5) में, परन्तुक में, शब्द "छः माह की" का लोप किया जाये;

(च) उप–नियम (5) में, परन्तुक में, शब्द "पर्याप्त कारण होने पर" के पश्चात्, शब्द "और इस अवधि की समाप्ति के पूर्व निर्धारित शीर्ष में रूपये एक हजार शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर" अंतस्थापित किया जाये; और

(छ) उप–नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:– –

"(6) अधिमानी बोलीदार का चयन होने के पश्चात् अधिमानी बोलीदार को छोड़कर शेष बोलीदारों द्वारा ई–नीलामी/ई–निविदा प्रक्रिया हेतु बोली प्रतिभूति के रूप में जमा राशि को वापस किया जायेगा एवं आशय पत्र जारी होने के पश्चात् अधिमानी बोलीदार द्वारा जमा बोली प्रतिभूति राशि भी वापस किया जा सकेगा।"

9. नियम 51 में,–

(क) उप–नियम (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "अधिक हो," के पश्चात्, शब्द "माह जनवरी के 20 तारीख तक" अन्तःस्थापित किया जाये;

(ख) उप–नियम (1) में, खण्ड (खख) में, शब्द "नीलामी/निविदा" के पश्चात्, चिन्ह एवं शब्द "/आवेदन" तथा शब्द "के लिये नीलामी राशि" के पश्चात्, चिन्ह एवं शब्द "/प्रीमियम राशि" अन्तःस्थापित किया जाये;

(ग) उप–नियम (1) में, खण्ड (खख) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(खखक) थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर नीलामी राशि/प्रीमियम राशि लिये जाने हेतु निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :–

$$\text{मूल्य वृद्धि} = \frac{\text{नीलामी राशि/प्रीमियम राशि}}{\text{चालू वित्तीय वर्ष के लिये थोक मूल्य सूचकांक}} \times \text{आधार वित्तीय वर्ष के लिये थोक मूल्य सूचकांक}$$

(स्पष्टीकरण:–शासकीय भूमि में ई–नीलामी/निविदा के प्रकरण हेतु, एनआईटी जारी वर्ष, आधार वर्ष मान्य होगा तथा निजी भूमि हेतु, आवेदन प्राप्ति वर्ष, आधार वर्ष मान्य होगा।)"

(घ) उप–नियम (19) में, अंक, शब्द एवं चिन्ह "30 जून/31 दिसंबर" के स्थान पर, अंक, शब्द एवं चिन्ह "31 सितंबर/30 अप्रैल" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ङ) उप–नियम (26) में, शब्द "दस हजार" के स्थान पर, शब्द "बीस हजार" प्रतिस्थापित किया जाये;

(च) उप–नियम (27) में, शब्द "पॉच सौ" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(छ) उप–नियम (28) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(29) इस नियम के किसी भी निर्बंधन एवं शर्तों के निरंतर उल्लंघन किये जाने पर, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, पट्टे क्षेत्र में सभी उत्खनन संक्रिया को अस्थाई रूप से बंद करने हेतु, लिखित में आदेश कर सकेगा।"

10. नियम 56 में, उप–नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(4) जहां आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर किसी भी चरण में, आवेदक/पट्टेदार की मृत्यु हो जाती है, वहां अग्रिम कार्यवाही, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, उसके विधिक उत्तराधिकारी के नाम से किया जायेगा ।"

11. नियम 58 में,–

(क) उप–नियम (1) में, खण्ड (तीन) में, शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) उप–नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(5) जहां गौण खनिजों के 10 से 20 खदानें समूह में संचालित है, वहॉ से 25 किमी की परिधि और जहां गौण खनिजों के 20 से अधिक खदानें समूह में संचालित है, वहॉ से 50 किमी की परिधि में उत्खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा।"

12. नियम 60 में, परन्तुक में, शब्द "विभागीय अधिकारी द्वारा एकत्रित" के स्थान पर, शब्द "पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र के भीतर स्थापित प्रयोगशाला में" प्रतिस्थापित किया जाये ।

13. नियम 71 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात:–

"71. अनाधिकृत निकास तथा परिवहन के लिये शास्ति.– इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई भी अपराध, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 21 से 23–ख के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध माना जायेगा और इन धाराओं तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन दण्डित किया जायेगा।"

14. नियम 71 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"71–क. रायल्टी क्लियरेंस.–शासकीय/अर्द्धशासकीय निर्माण विभागों में ठेकेदार के माध्यम से कराये गये निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले गौण खनिजों के बाजार मूल्य के बराबर राशि, संबंधित निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार के देयको से काटकर रखा जायेगा। ठेकेदार के द्वारा संबंधित खनिज शाखा में आवेदन के साथ उपयोगित खनिज का वैध अभिवहन पारपत्र प्रस्तुत कर, संबंधित कलेक्टर के माध्यम से रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे, जिसके पश्चात् निर्माण विभाग द्वारा काटकर रखी गयी राशि ठेकेदारों को वापस की जा सकेगी तथा ठेकेदारों के अंतिम देयकों का भुगतान किया जा सकेगा:

परन्तु ठेकेदार द्वारा उपयोगित गौण खनिजों का वैध अभिवहन पारपत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 21 से 23–ख के अधीन कार्यवाही की जायेगी।"

15. नियम 76 में, उप–नियम (3) का लोप किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

अटल नगर, दिनांक 26 जून 2020

क्रमांक एफ 6–42/2012/XII.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/XII, दिनांक 26–06–2020, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

Atal Nagar, the 26th June 2020

NOTIFICATION

No. F 6-42-2012-12.— In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No.67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 2, -

(i) in clause (x), words "and includes any contractor, sub-lessee and agent, whether appointed or not, who is acting or purporting to act on behalf of the lessee and is taking part in the management, supervision, extraction and dispatch of mineral" shall be omitted; and

(ii) in clause (ab), after the words "construction of road", the words"and withdrawal of water from mine pits, improvement work of benches of mine and installation of plant and machinery" shall be inserted.

2. In rule 3, clause (vi) shall be omitted.

3. In rule 10, in sub-rule (4),-

(a) after the word "forest land" the word "and non forest land" shall be inserted;

(b) the word "and six months for non forest land" shall be omitted;

(c) in the proviso, the word "of six months" shall be omitted; and

(d) in the proviso, after the word "sufficient reason" the word "and an application with rupees one thousand fee in the prescribed head before the lapse of this period" shall be inserted.

4. In rule 13, after sub-rule (3), the following shall be added, namely:-

"(4) After selection of preferred bidder, the amount deposited as bid security for e-auction/e-tender process by remaining bidders except preferred bidder shall be returned and after issuance of letter of intent, the amount deposited as bid security by preferred bidder may also be returned"

5. In rule 23-A, in sub-rule (1), after clause (c), the following shall be added, namely:-

"(d) Notwithstanding in sub-rule (1)(a)(b)(c), in case of private land, composite license/quarry lease may be granted by levying premium money from the applicant at the rate prescribed by the Government, except Specified Minerals of Part-A of Schedule-I."

6. In rule 31,-

(a) in sub-rule (2), in serial number (i), in place of the words "Rupees Five Thousand" the words "Rupees Ten Thousand" shall be substituted;

(b) In sub-rule (2), in serial number (ii), in place of the words "Rupees Ten Thousand" the words "Rupees Twenty Thousand" shall be substituted;

(c) for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) The application fee shall be deposited in the Government Treasury under the revenue receipt head-

0835	Non-ferrous Mining and Metallurgical Industry
(800)	Other receipts
(0229)	Miscellaneous

and the original treasury receipt Challan shall be attached with the application."

7. In rule 38-A,-

(a) In sub-rule (4), in the proviso, for the words "within the period of two years from the", the words and figures "till the 31st December, 2020 from the date of" shall be substituted;

(b) After sub-rule (7), the following shall be added, namely;-

"(8) Such quarry leases, even after the expiry of 30 years from the date of sanction, if mineral is available in the leasehold area, the sanctioning authority on the condition of payment of premium money as fixed by the government, may further extend the lease for a maximum period of five years for only once with predetermined terms and conditions of the lease:

Provided that within six months from date of publication of these rules, the application shall be submitted by depositing prescribed fees of twenty thousand rupees (non-refundable) to the government treasury in prescribed revenue head in sub-rule 3 of the rule 31."

8. In rule 42,-

(a) in sub-rule (1), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substiuted.

(b) after sub-rule (I), the following shall be inserted, namely;-

"Provided that the applications received under rule 23(d), the sanctioning authority after submission of performance security may issue letter of intent or order in the name of applicant"

(c) in sub-rule (5), after the words "forest land" the words "and non-forest land" shall be inserted;

(d) in sub-rule (5), the words "and six months for non-forest land" shall be omitted;

(e) in sub-rule (5), in the proviso, the words "of six month" shall be omitted;

(f) in sub-rule (5), in the proviso, after the words "sufficient reason" the words "and an application with rupees one thousand fee in prescribed head before the lapse of this period" shall be inserted; and

(g) After sub-rule (5), the following shall be added, namely:-

"(6) After selection of preferred bidder, the amount deposited as bid security for e-tender process by remaining bidders except preferred bidders shall be returned and after issuance of letter of intent, the amount deposited as bid security by preferred bidder may also be returned"

9. In rule 51,-

(a) in sub-rule (1), in clause (b), after the words "whichever is higher", the words "till the 20th day of the month of January" shall be inserted;

(b) in sub-rule (1), in clause (bb), after the words "auction/tender", the symbol and words "/application" and for the words "pay the auction money" the words "/premium money" shall be inserted, respectively;

(c) in sub-rule (1), after clause (bb), the following shall be added;

"(bba) For taking auction money/premium money based on the Wholesale Price Index shall be determined as follows:-

$$\text{Price Escalation} = \frac{\text{Auction Money/ Premium Money}}{\text{Wholesale Price Index for current financial year}} \times \text{Wholesale Price Index for base financial year}$$

(Clarification:- For e-auction/tender in government land, the NIT issue year shall be considered base year and for private land, the year of application received shall be considered as the base year.)"

(d) in sub-rule (19), for the figures, words and symbol "30th June/31 December" the figures, words and symbol "31 September/30 April" shall be substituted;

(e) in sub-rule (26), for the words "ten thousand" the words "twenty thousand" shall be substituted;

(f) in sub-rule (27), for the word "five thousand" the word "ten thousand" shall be substituted; and

(g) after sub-rule (28), the following shall be added, namely;-

"(29) In case of continuing contravention of any terms and conditions of this rule, the sanctioning authority with reasons to be recorded in writing, may order temporary closure of all the mining operations in the lease area."

10. In rule 56, after sub-rule (3), the following shall be added, namely:-

"(4) Where an applicant or lessee dies at any stage from the submission of application, the further proceeding shall be made in the name of the legal heir on submission of successor certificate issued by competent authority."

11. In Rule 58,-

(a) in sub-rule (1), in clause (iii), for the words "rupees one hundred", the words "rupees five thousand" shall be substituted; and

(b) after sub-rule (4), the following shall be added, namely:-

"(5) No quarrying permit shall be granted within the periphery of 25 kilometers where from 10 to 20 mines of minor minerals are operated in a group and within the periphery of 50 kilometers where from more than 20 mines of minor minerals are operated in a group."

12. In rule 60, in the proviso, for the words "collected by the departmental officer", the word, "in the laboratory established within leasehold area by the lessee as per the

standards prescribed by the Bureau of Indian standards for analysis of samples" shall be substituted.

13. For rule 71, the following shall be substituted, namely;-

"71. Penalty for unauthorised extraction and transportation.- Any offence committed in contravention of provisions of these rules shall be considered an offence under the provisions of Section 21 to 23-B of the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 (No.67 of 1957) and shall be punishable as per the provistions made thereunder."

14. After rule 71, the following shall be added, namely:-

"71-A. Royalty Clearance.- The concerned works department should deduct, the amount equivalent to the market value of minor minerals used in construction work done through contractors in Government/semi-government works department, from the bills of contractors. Contractors may be obtain Royalty Clearance Certificate through Collector concerned, by submitting an application to mining office along with valid transit passes of the mineral used, after which amount deducted by the works department may be returned and final bills settled to contractors:

Provided that the contractors fail to submit valid transit passes of the minor minerals used, action shall be taken under Section 21 to 23-B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957)."

15. In rule 76, sub-rule (3) shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANBALAGAN P., Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.